



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122023-250830
CG-DL-E-22122023-250830

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 729]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2023/पौष 1, 1945

No. 729]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2023/PAUSA 1, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2023

सं. 15/2023-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 913(अ).—जब कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित “कटिंग, मार्किंग या वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त औद्योगिक लेजर मशीनों” (एतश्मिन पश्चात जिसे ‘विषयगत वस्तुओं’ से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 84561100, 84569090, 84798199, 85152190, 85158090 और 90132000 के अंतर्गत आती हैं, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना संख्या 06/07/2022-डीजीटीआर, दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, अधिसूचना संख्या 06/07/2022-डीजीटीआर दिनांक 6 दिसंबर, 2023 के तहत जारी शुद्धिपत्र के साथ पठित, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में दिनांक 7 दिसंबर, 2023 को प्रकाशित किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि;

- (i) विषयगत वस्तुओं का विषयगत देश से सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया है;
- (ii) विषयगत देश से विषयगत आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के आयात के कारण हुई है।

और घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तुओं जो कि विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित हैं और भारत में आयातित हैं, के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, निर्धारण तथा प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट अधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष/टैरिफ मदों के अंतर्गत आती हैं जो नीचे सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट हैं, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों के द्वारा निर्यातित हैं, जो कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित हैं और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयात मूल्य के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में गणना की गई राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्ष या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूलतः उत्पादक देश	निर्यातक देश	उत्पादक	सीआईएफ के % के रूप में शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	84561100, 84569090, 84798199, 85152190, 85158090 and 90132000	औद्योगिक लेजर मशीनें, पूरी तरह से इकट्टे, एसकेडी या सीकेडी रूप में, काटने, चिह्नित करने या वेल्डिंग कार्यों के लिए उपयोग की जाती हैं*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	जीडी हान की युमिंग लेजर ग्रुप कंपनी लिमिटेड हैन्स लेजर स्मार्ट इक्विपमेंट ग्रुप कंपनी लिमिटेड हैन्स लेजर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड हैन्स एमपी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड सूज़ों सोंगु इंटेलिजेंट इक्विपमेंट कं. लिमिटेड	24.66%
2	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	जियांग्सू यावेई मशीन टूल कं. लिमिटेड जियांग्सू यावेई चुआंगकेयुआन लेजर उपकरण कं. लिमिटेड	43.35%
3	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	TRUMPF ट्रम्फ (चीन) कंपनी लिमिटेड जियांग्सू जिनफैंगयुआन सीएनसी मशीन कं.	शून्य

				भी देश	लिमिटेड	
4	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	एचएसजी लेजर कंपनी लिमिटेड जिनान होंगशी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	22.54%
5	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	बिस्ट्रोनिक (तियानजिन) लेजर लिमिटेड बिस्ट्रोनिक लेजर एजी बिस्ट्रोनिक (शेन्जेन) लेजर टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड	30.16%
6	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	जिनान बोडोर सीएनसी मशीन कंपनी लिमिटेड	84.22%
7	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	जिनान ओरी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड शेडोंग ओरी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	87.30%
8	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	ग्वेइके टेक कंपनी लिमिटेड	90.49%
9	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	क्रम संख्या 1 से 8 से भिन्न कोई भी	147.20 %
10	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य को छोड़कर कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	147.20 %

*उत्पादक क्षेत्र में लेजर कटिंग मशीनें, लेजर मार्किंग मशीनें और लेजर वेल्डिंग मशीनें शामिल हैं।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण 1 – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

स्पष्टीकरण 2 - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "सीआईएफ मूल्य" का अर्थ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य है।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/240/2023-टीओ-(टीआरयू-1)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2023

No. 15/2023-Customs (ADD)

G.S.R. 913(E).—Whereas in the matter of ‘Industrial Laser Machines, used for cutting, marking, or welding’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 84561100, 84569090, 84798199, 85152190, 85158090 and 90132000 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings, issued *vide* notification 06/07/2022-DGTR, dated the 27th September, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27th September, 2023, read with corrigendum issued *vide* notification 06/07/2022-DGTR dated 6th December, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 7th December, 2023, has inter alia come to the conclusion that—

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject country at dumped prices;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from subject country;
- (iii) the material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country,

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty calculated at the rate as specified in the corresponding entry in column (7) of the said Table, namely:—

TABLE

SN	Tariff Item	Description of Goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Duty as % of CIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	84561100, 84569090, 84798199, 85152190, 85158090 and 90132000	Industrial Laser Machines, in fully assembled, SKD or CKD form, used for cutting, marking, or welding operations*	China PR	Any country including China PR	GD Han's Yueming Laser Group Co., Ltd. Han's Laser Smart Equipment Group Co., Ltd. Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. Han's MP Laser Technology Co., Ltd.	24.66%

					Suzhou Songu Intelligent Equipment Co., Ltd.	
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Yawei Machine-Tool Co., Ltd.	43.35%
					Jiangsu Yawei Chuangkeyuan Laser Equipment Co., Ltd.	
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	TRUMPF (China) Co., Ltd.	Nil
					Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Co., Ltd.	
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	HSG Laser Co., Ltd	22.54%
					Jinan Hongshi Laser Technology Co., Ltd	
5	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Bystronic (Tianjin) Laser Ltd	30.16%
					Bystronic Laser AG	
					Bystronic (Shenzhen) Laser Technology Co., Ltd	
6	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd	84.22%
7	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jinan Oree Laser Technology Co. Ltd	87.30%
					Shandong Oree Laser Technology Co. Ltd	
8	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Gweike Tech Co., Ltd	90.49%
9	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any, other than SN 1 to 8	147.20%
10	-do-	-do-	Any other than China PR	China PR	Any	147.20%

**the scope of the product includes Laser Cutting Machines, Laser Marking Machines, and Laser Welding machine .*

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. –For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act;

[F. No. CBIC-190354/240/2023-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.